

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-104

दिनांक: 22-3-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की
बैठक... 8वीं... दिनांक... 19-3-2002 का
कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं० 8वीं.
दिनांक. 19-3-2002. प्रातः/समय. 9:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त
महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर
प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति. आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

बीपीसी(ले आउट प्लान)की 8वीं बैठक दिनांक 19-3-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : हथरोई गढ़ी
2. योजना का नाम : जगदीशपुरी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : कानोता, ख.नं. 533
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...डी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक. 19-3-02.में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. पूर्व में प्रकरण भवन मानचित्र समिति ले-आउट प्लान की 7वीं बैठक दिनांक 15-3-2002 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें निर्णय लिया गया था कि, "भूखण्ड सं० 27 व 49 का मौका निरीक्षण कर जोन स्तर पर यह अवगत करवाया जावे कि इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में रखा जावे या नहीं ।

उपरोक्त निर्णय के क्रम में उपायुक्त जोन द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं भूखण्ड सं० 27, 48 व 49 में वर्तमान में आरा मशीन स्थापित होने की स्थिति से समिति को अवगत करवाया गया । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं० 27, 48 व 49 को नोटिस जारी किये जावे एवं इन भूखण्डों का नियमितीकरण आरा मशीन को हटाने के उपरान्त ही आवासीय हेतु किया जावे ।

2. समिति के समक्ष जगदीशपुरी विकास सेवा समिति सांवरिया रोड कानोता के पदाधिकारी श्री छज्जूलाल जी एवं श्री सुभाष जी पेश हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि आवासीय एवं फैसिलिटी का प्रतिशत 60 , 40 करने के लिए उनके द्वारा नया ले-आउट प्लान तैयार किया गया जिसमें



मुख्य सड़क के मध्य बिन्दु से योजना की दूरी को 50 फिट दर्शाया गया तथा अन्दर की सड़कों की चौड़ाई को 40 फिट दर्शाया गया । समिति द्वारा उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत इस संशोधित मानचित्र पर विचार कर भूखण्ड संख्या 39 को सैटबैक छोड़ने के बाद बिल्टअप एरिया नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किया गया । भूखण्ड संख्या 11, 12, 13 को फैसिलिटी एरिया के अन्तर्गत रखा गया तदनुसार योजना को स्वीकृत किया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...⁸...वीं...बैठक दिनांक...19-3-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : पहाड़गंज
2. योजना का नाम : रिद्धि सिद्धि गणेश विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : गीला की नांगल, 202
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...~~डी...3...~~) कमेटी की बैठक दिनांक...16-3-2002...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित बरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. नायला रोड़ के मध्य से 175 फिट $\{$ सड़क एवं ग्रीन बैल्ट $\}$ की दूरी में आने वाले भूखण्डों को निरस्त किया जावे ।
2. नायला रोड़ से पूर्व दिशा की ओर बैनाड़ गाँव की तरफ जाने वाली सड़क की चौड़ाई 100 फिट रखी जावे तथा सड़क के मध्य से 50फिट की दूरी में आने वाली दुकानों को अस्वीकृत किया जावे ।
3. भूखण्ड सं० 23, 30, 31, 38, 39, 22, 35, 42 एवं 55 का आंशिक भाग योजना की सीमा से बाहर होने के कारण योजना से अलग किया जावे ।
4. योजना के अंदर की सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखी जावे ।
5. योजना में 4.7% भूखण्डों पर निर्माण होने के कारण योजना राज्य सरकार को निर्णयार्थ भेजी जावे ।
6. योजना का मास्टर प्लान में भू उपयोग संस्थानिक है जिसे नियमानुसार आवासीय में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...8वीं.....बैठक दिनांक...19-3-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : हथरोई गढ़ी
2. योजना का नाम : लक्ष्मी विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : बस्ती, 568
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.डी.३....) कमेटी की बैठक दिनांक...16-3-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित बरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. एच.टी.लाईन भूखण्ड सं० 105 के ऊपर से गुजरती है। अंदर की सड़कों की चौड़ाई 25 फिट दर्शा रखी है तथा योजना में कुल दो भूखण्ड आंशिक रूप से निर्मित है। योजना में आवासीय क्षेत्रफल 66% व व्यावसायिक 9.41% है जो मानदण्डों से अधिक है। चूंकि सम्पूर्ण योजना खाली है अतः मानदण्डों के अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 60% एवं आन्तरिक सड़के 30 फिट चौड़ी रखते हुए योजना को समिति से संशोधित करवा कर पुनः भवन मानचित्र समिति में प्रस्तुत किया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 8 वीं बैठक दिनांक 19-3-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : लक्ष्मी नगर
2. योजना का नाम : मान कालोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : मानगढ़, 138/2
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...डी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक...16-3-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित बरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. जोनल समिति की अनुशांसा के आधार पर चूँकि प्रस्तावित भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में किया जा रहा है अतः योजना का निरस्त किया जाये।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 8वीं..... बैठक दिनांक...19-3-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : म्युचुअल
2. योजना का नाम : प्रेमनगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-1....) कमेटी की बैठक दिनांक...18-3-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. आवासीय क्षेत्रफल 60% तक किये जाने के लिए योजना की समस्त आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 40 फिट किया जावे ।
2. मास्टर विकास योजना 2011 में भू उपयोग नर्सरी ओवार्ड को नियमानुसार आवासीय में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जावे ।
3. योजना में स्थित फैक्ट्री भूखण्ड का नियमन आवासीय के रूप में ही किया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...8वीं...बैठक दिनांक...19-3-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : अपोलो नगर
2. योजना का नाम : महावीर नगर-डी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी...I...) कमेटी की बैठक दिनांक...18-3-2002...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. योजना की मुख्य सड़क को 60फिट रखा जावे ।
2. भूखण्ड सं० 23 को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण नियमन की कार्यवाही नहीं की जावे ।
3. योजना के अन्तर्गत आने वाले फैक्टरी के भूखण्डों को आवासीय मानकर नियमन की कार्यवाही की जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 19.3.02.....का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : अम्बेश्वर गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : गणेश विहार ए
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ख.न.124 से 129 ग्राम पालडी मीणा की आवासीय
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....६-२..) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सड़कों को 30-0" चौड़ी की जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 89 व 17 के उत्तर में योजना में दर्शायी 30-0" चौड़ी सड़क को 100-0" किया जावे जिसके कारण भूखण्ड संख्या 17, 18, 64, 89 को अस्वीकृत किया जावे तथा भूखण्ड संख्या 16, 62, 63 व 88 आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इन भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 19.3.02...का
कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | लक्ष्मी गृह नि० स०स० |
| 2. | योजना का नाम | : | पाल कॉलोनी |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं० | : | स्कीम नं० 5 विस्तार उ०न० 676/2 ग्राम
बगराना |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या....C...2.) कमेटी की बैठक दिनांक...19.3.02...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 9, 32, 33 एवं इसके पूर्व में स्थित खुला क्षेत्र दुकान नं० 1 से 31 को राष्ट्रीय राज मार्ग कंट्रोल बेल्ट की सीमा में होने के कारण निरस्त किया जावे।
- 2- योजना के पूर्व में भूखण्ड संख्या 35 से 50 व 53 से 56 तक के भूखण्ड राजकीय भूमि में होने के कारण निरस्त किया जावे।
- 3- योजना में 25'-0" में कम चौड़ी सड़कों को 30'-0" किया जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 27 बी, 14 बी में सेट बैक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
- 5- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार योजना की भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में है इसलिए भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 6- योजना की भूमि के पास सरकारी भूमि उपलब्ध है इसलिए सरकारी भूमि का सर्वे करवाया जाकर प्राधिकरण की योजना विकसित की जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 19.3.02...का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शान्ति नगर गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : लक्ष्मी नगर सी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : उ० न० 202, 203, 204 ग्राम खीनागोरियान
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...C-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.19.3.02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सभी सड़कों की चौड़ाई 30-0" की जावें । भूखण्ड संख्या 23, 13, 12 एवं 1 के उत्तर में स्थित सड़क की चौड़ाई 30-0" किए जाने हेतु इन भूखण्डों में से ही भूमि ली जावें शेष सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने हेतु आमने-सामने के भूखण्डों में से समान भूमि ली जावें ।
- 2- योजना काफी छोटी है इसलिए सभी भूखण्डों को स्वीकृत किया जावें ।
- 3- योजना का भू-उपयोग परिवर्तन वातावरण मैत्री से आवासीय हेतु कार्यवाही की जावें ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 19.3.02...का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी निजी कॉलोनी
समिति का नाम :
2. योजना का नाम : महादेव नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : महादेव पुत्र नृसिंहा उ०न० ग्राम राम नगरिया
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....2...) कमेटी की बैठक
दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को
स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के
समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत
एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना
अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के
परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया
गया:-

- 1- खातेदार द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र निर्धारित मानदण्डों
के अनुसार है। चूंकि योजना में निर्मित आवासीय भूखण्डों की संख्या
10% से कम है इसलिए योजना को अनुमोदन के सम्बन्ध में राज्य
सरकार को भिजवाई जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया तथा
भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 19.3.02....का
कार्यवाही विवरण।

- | | | |
|---|---|--|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | पार्थक भवन गृ0नि0स0स0 |
| 2. योजना का नाम | : | योजना नम्बर 4 |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | ग्राम मदरामपुरा तह.जयपुर के उ.न.318 व
319 |
| 4. सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या.ए.1.....) कमेटी की बैठक दिनांक 19.3.02.में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- अजमेर रोड़ की सिविल लाइन्स को मिलाने वाली सड़क को 40-0" चौड़ी ही रखी जावे ।
- 2- भूखण्ड संख्या 4 का आवासीय उपयोग को पट्टा जारी किया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की आठवों बैठक दिनांक...19.21-3-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : निजी कालोनी
2. योजना का नाम : अनन्तपुरी काला कालोनी, जवाहर लाल
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : नेहरू मार्ग
4. सैक्टर नंबर : 19/207 ग्राम रामजीपुरा

जोनल लेबल(जोन संख्या..५-३.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

प्रशासनिक तथ्य :-

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-5१३१ नविवि/३/९९ दिनांक 23-12-९९ द्वारा जवाहर लाल नेहरू मार्ग की सड़क की सीमा से 200' क्षेत्र की भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग संस्थानिक होने एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15-9-९९ को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र की आवासीय योजनाओं की कृषि भूमि के बाबत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी एवं नियमन की कार्यवाही पर रोक लगाई हुई है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प-5१३१ नविवि/३/९९ दिनांक 7-1-2000 द्वारा जविप्रा की अवाप्तशुदा कब्जा एवं मुआवजा भुगतान की गयी ऐसी भूमि जिस पर प्राधिकरण का मौके पर कब्जा है और भूमि रिक्त है एवं प्राधिकरण की खातेदारी में उसके नियमन पर भी रोक लगाई गयी है।

परन्तु आयुक्त समन्वय के यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/समन्वय/2002/डी-2191 दिनांक 17-1-2002 के साथ तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की 9वीं बैठक जो दिनांक 10-1-2002 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसकी कार्यवाही विवरण के अनुसार जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर शक्ति नगर योजना और अनन्तपुरी योजना के सामने 200'-0" संस्थानिक भू-पट्टी में से 3 से 4 एकड़ भूमि जी.ई. कैपिटल को तुरन्त आवंटित कर दी जावे तथा आवंटित की जाने वाली भूमि जे.डी.ए. के प्लान में संबंधित खातेदारों/सहकारी समितियों से तुरन्त समर्पित करवायी जावे और संबंधित सहकारी समितियों के



200' की संस्थानिक पट्टी के पीछे स्थित भू-भाग को तुरन्त नियमन क्रिया जावे। उक्त बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा जे.एल.एन. मार्ग के दोनों ओर स्थित सहकारी समितियों के नियमन पर जो रोक लगाई हुई है वह इस मामले में लागू नहीं होगी।

उक्त कॉलोनी की गत ख.नं; 19/207 ग्राम रामजीपुरा तह. सांगानेर की 3 बीघा 12 बिस्वा की आवाप्ती कर दिनांक 6-7-1982 को कब्जा ले लिया गया तथा उक्त प्राधिकरण की भूमि का भौतिक कब्जा दि. 22-1-2002 को ले लिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में भी भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है अतः 200'-0" चौड़ी भू-पट्टी की समर्पण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्व में ही भूमि प्राधिकरण के कब्जे में है व जविप्रा के स्वामित्व में आ चुकी है तथा मुआवजा भी सिविल जज जयपुर शहर, जयपुर को भिजवाया जा चुका है।

श्री नन्द किशोर खातेदार द्वारा अनन्तपुरी योजना^{में} मानचित्र प्रस्तुत किया है। श्री मनोज काला द्वारा अल्कापुरी एवं काला कॉलोनी का योजना मानचित्र पेश किया गया। चूंकि श्री मनोज काला द्वारा भूमि खरीद के विक्रय पत्र एवं इकरारनामों अल्का कॉलोनी एवं काला कॉलोनी के मानचित्र में मेल खाते हैं अतः श्री मनोज काला द्वारा प्रस्तुत मानचित्र को कन्सीडर किया है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गये निर्णय की अनुपालना में योजना का अनुमोदन निम्न शर्तों के साथ किया जाता है -

1. जवाहर लाल नेहरू मार्ग के पूर्व में 200'-0" चौड़ी भू-पट्टी सुविधा क्षेत्र हेतु दर्शायी जावे तथा भू.सं. ए-5 व ए-6 को अस्वीकृत किया जावे।
2. नाले व सुविधा क्षेत्र के मध्य में योजना मानचित्र में 40' चौड़ी सड़क दर्शायी है जबकि सेक्टर प्लान में इस सड़क की चौड़ाई 60'-0" है इसलिए इस सड़क की चौड़ाई 60' दर्शायी जावे।
3. 200' चौड़ी सुविधा क्षेत्र की भू-पट्टी पूर्व में योजना मानचित्र में एवं 40' चौड़ी सड़क दर्शायी है जबकि सेक्टर प्लान के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 60' है इसलिए 40' चौड़ी सड़क को 60' चौड़ी का जावे।
4. नाले व भू.सं. बी-4 से बी-6 के मध्य सड़क की चौड़ाई 20' योजना मानचित्र के अनुसार ही रखी जावे।
5. भू.सं. बी-7 से बी-7 से बी-10 व भू.सं. बी-18 से बी-21 के मध्य की सड़क की चौड़ाई योजना मानचित्र के अनुसार 20' ही रखी जावे।
6. योजना के भू.सं. बी-9, बी-10, बी-18, बी-14, बी-15 में से 40' चौड़ी सेक्टर रोड गुजरती है। इस सेक्टर रोड को निरस्त किया जावे।

7. भूखंडधारो भू.सं.ए-5 व ए-6 के द्वारा प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है। इसलिए वाद वापस लेने के पश्चात् योजना का अनुमोदन माना जावे।



बीपीसी(ले आउट प्लान)की 8वीं बैठक दिनांक 19.21-3-02 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : मार्टिन हाउसिंग को.ओ.सोसायटी
2. योजना का नाम : शक्ति नगर, जवाहर लालनेहरू मार्ग
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : ख.नं. 18.19/207, 19/208 ग्राम
4. सैक्टर नंबर : रामजीपुरा

जोनल लेबल(जोन संख्या...A3....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

प्रशासनिक तथ्य :-

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-5३३ नविवि/3/99 दिनांक 23-12-1999 द्वारा जवाहर लाल नेहरू मार्ग की सड़क सीमा के 200' क्षेत्र की भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग संस्थानिक होने एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15-9-99 को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र की आवासीय योजनाओं की कृषि भूमि के बाबत भू-राजस्व अधिनियम को धारा 90 बी एवं नियमन की कार्यवाही पर रोक लगाई हुई है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प-5३३ नविवि/3/99 दिनांक 7-1-2000 द्वारा जविप्रा की अवाप्त शुदा कब्जा एवं मुआवजा भुगतान की गई ऐसी भूमि जिस पर प्राधिकरण का मौके पर कब्जा है और भूमि रिक्त है एवं प्राधिकरण की खातेदारी में है। उसके नियमन पर भी रोक लगाई हुई है।

परन्तु उपायुक्त समन्वय के यू.ओ. नोट क्रमांक: जविप्रा/समन्वय/2001/ डी-1291 दिनांक 17-1-2002 के साथ तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपमेंट एण्ड इन्वेंटमेंट प्रमोशन की 9वीं बैठक जो दिनांक 10-1-2002 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई के निर्णय की

कार्यवाही विवरणिका भिजवाई गई ।

उक्त के निर्णयों की कार्यवाही विवरण के अनुसार जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर शक्ति नगर योजना और अनन्तपुरी योजना के सामने 200' संस्थानिक पट्टी में से 3 से 4 एकड़ भूमि जी.ई. केपीटल को तुरन्त से आवंटित कर दी जावे तथा आवंटित होने को जाने वाली भूमि जे.डो.ए. के पक्ष में संबंधित छातेदारों/सहकारी समितियों से तुरन्त समर्पित कराई जावे और संबंधित सहकारी योजनाओं के 200' की संस्थानिक पट्टी के पीछे स्थित भाग का तुरन्त नियमन क्रियाजावे । उक्त बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा जे.एल.एन. मार्ग के दोनों ओर स्थित सहकारी समितियों के नियमन जो रोक लगाई हुई है वह इस मामले में लागू नहीं मानो जावेगी ।

उक्त कॉलोनी की भूमि अवाप्त कर भूमि का कब्जा दिनांक 6-7-1982 को संभाल लिया गया है तथा मुआवजे की राशि का बैंक सिविल न्यायाधीश को भिजवाया जा चुका है । भूमि प्राधिकरण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुकी है । ऐसा स्थिति में भूमि समर्पण की आवश्यकता नहीं है फिर भी मोर्डन हा0को0 सो0 ने 200' भूमि समर्पण कर दी है ।

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में शक्ति नगर योजना का अनुमोदन निम्न शर्तों के साथ किया जाता है -

1. जवाहर लाल नेहरू मार्ग की सीमा के बाद पूर्व में 200' गहराई का सुविधा क्षेत्र तथा सुविधा क्षेत्र के बाद 60'-00" चौड़ी सड़क दर्शायी जावे ।
2. योजना मानचित्र में भू0सं0 8 से 15 के पूर्व में 30'-0" चौड़ी सड़क दर्शायी है जबकि सेक्टर प्लान में इस सड़क की चौड़ाई 40'-0" है । चूंकि यह सेक्टर रोड मौके पर आगे उपलब्ध नहीं है इसलिए इस सड़क की चौड़ाई 30'-0" ही रखी जावे ।
3. भू0सं0 6,7,18 में से इलैक्ट्रीक लाईन गुजर रही है इसलिए सहकारी समिति द्वारा इलैक्ट्रीक लाईन हटाये जाने के पश्चात् ही इन इन भूखंडों को स्वीकृत किया जावे ।
4. योजना की भीमि प्राधिकरण को अवाप्तशुदा है तथा कब्जा भी दिया हुआ है इसलिए नियमानुसार शुल्क लिया जावे ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 19.3.02..का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : अपोलो गृहनिर्माण
2. योजना का नाम : श्री जी नगर (विस्तार)
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : विस्तार सं. नं. 110 से 113 ग्रामदुर्गापुरा
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....) कमेटी की बैठक दिनांक 19.3.02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- भूखण्ड संख्या 10 से 13 के दक्षिण की 25'-0" चौड़ी सड़क को 40' किया जावे तथा 15' चौड़ी भूपट्टी इन भूखण्डों में से ली जावें।
- 2- योजना के भूखण्ड संख्या 9 के दक्षिण में 40'-0" चौड़ी सड़क दर्शायी जावें जिसके कारण भूखण्ड संख्या 8 का क्षेत्रफल कम किया जावें।
- 3- भूखण्ड संख्या 2 के पश्चिम में 30'-0" चौड़ी सड़क दर्शायी जावें तथा शेष बची भूमि भूखण्ड संख्या 3 व 4 के क्षेत्रफल से मिलाते हुए बराबर दो भूखण्ड संख्या 3 व 4 दर्शाया जावें।
- 4- भूखण्ड संख्या 4 के पश्चिम में 15'-0" चौड़ा रास्ता दर्शाया जावें।
- 5- भूखण्ड संख्या 1 से 5 के सीलिंग तथा भूखण्ड संख्या 10 से 12 के सामने 30'-30'-0" चौड़ी सड़को के बीच की भूपट्टी को ग्रीन बेल्ट ही दर्शाया जावें।
- 6- भूखण्ड संख्या 1 को योजना में दर्शाये अनुसार घुमाव देकर 10'-0" चौड़ी लेन में मिलाया जावें।
- 7- टोंक रोड़ पर मिलाने वाली 40'-0" चौड़ी सड़क के मध्य में स्थित

ट्रान्सफोर्मर को समिति द्वारा अपने छेव पर हटाने ^{तक} भूखण्ड संख्या
। व 12 के पट्टे जारी नहीं किए जावें ।

- 8- 40'-0" चौड़ी सड़क के पश्चात् बचे सुविधा क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र
दर्शाया जावें ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की 8.4. बैठक दिनांक.19.3.02....का
कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|--|---|------------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | इन्द्रा नगर गृ0नि0स0स0 |
| 2. | योजना का नाम | : | सूर्य नगर |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | ख.न. 249,271 ग्राम |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या..B..4..) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार टोंक रोड़ की चौड़ाई 160-0" निर्धारित है जबकि मौके पर डिवाइडर के केन्द्र बिन्दु से 53-0" की दूरी पर योजना स्थित है इसलिए योजना के भूखण्ड संख्या 1,2,12,13,14,15,16,17, में से 27-0" गहराई कम की जावे।
- 2- योजना के दक्षिण व पश्चिम की सड़क की चौड़ाई 40-0" की जावे।
- 3- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सड़को को 30-0" चौड़ा किया जावे।
- 4- योजना के भूखण्ड संख्या 1,2,3,4,15,16,17,18,19,19ए को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 5- भूखण्ड संख्या भूखण्ड 21 व भूखण्ड 19ए के मध्य की सड़क की चौड़ाई 20-0" की जावे।
- 6- खातेदार के मकान व भूखण्ड संख्या 6,7, के मध्य में 10-0" चौड़ा रास्ता सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र के अनुसार ही रखा जावे।
- 7- भूखण्ड संख्या 69ए सहकारी समिति ने योजना मानचित्र में मन्दिर हेतु दर्शाया है इसलिए इसे सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।



क२पंड

- 8- खातेदार व भूखण्ड संख्या 40 को शेम्फर्ड किया जाय ।
- 9- फेसिलिटी एरिया को तुरन्त कब्जे में लेकर प्राधिकरण सम्पत्ति का बोर्ड लगाया जावे ।
- 10- नर्सरी ओवार्ड से आवासीय में भू उपयोग परिवर्तन किया जावे ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 19.3.02...का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शिव शक्ति गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : जेम विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....13-4..) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।
विवार-विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिए गये :-

- 1- भूखण्ड संख्या 117, 68ए व 69ए को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 116 के बाद दर्शायी गयी खाली भूमि जिसमें मन्दिर बना हुआ है को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 3- भूखण्ड संख्या 115 व 116 के मध्य स्थित 30-0" की सड़क को 40-0" करते हुए आगे स्थित आसिन्द कॉलोनी से मिलान किया जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 103 व 104 के मध्य 40-0" सड़क रखी जावे।
- 5- भूखण्ड संख्या 104 के सामने 30-0" सड़क छोड़ने के पश्चात् 10-0" चौड़ी भू-पट्टी उपलब्ध रहती है इसलिए 10-0" चौड़ी भू-पट्टी को भूखण्ड संख्या 4 में शामिल किया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांकका
कार्यवाही विवरण।

विषय:- भू.स. 57 व 58 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 30' से 20' करने बाबत ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी लक्ष्मी नृ0नि0स0स0
समिति का नाम :
2. योजना का नाम : लक्ष्मी नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-4....) कमेटी की बैठक दिनांक.19.3.02.में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया तथा विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया कि मौके पर सड़क 20-0" ही उपलब्ध है इसलिए इस सड़क की चौड़ाई 20-0" ही रखी जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की... 8... बैठक दिनांक 19.3.02..... का कार्यवाही विवरण।

- | | | |
|--|---|--|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | तोपखाना देश गृ0नि0स0स0 |
| 2. योजना का नाम | : | माथूर वैश्य नगर द्वितीय |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | समिति के भू.स. 64 को फैसिलिटी एरिया में मुक्त एवं भू.स. 74 व 76 के मध्य की सड़क हेतु बराबर भूमि लिए जाने के सम्बन्ध में। |
| 4. सैक्टर नंबर | : | जोनल लेबल(जोन संख्या... B-4...) |

दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया उपायुक्त जोन ने बताया कि भूखण्ड संख्या 64 में मकान निर्मित है इसलिए इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जावे। समिति के सदस्यों ने विचार-विमर्श कर भूखण्ड संख्या 64 को सुविधा क्षेत्र में मुक्त करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार भूखण्ड संख्या 74 व 76 के मध्य में पूर्व में स्वीकृत की गयी सड़क हेतु पूरी भू-पट्टी भूखण्ड संख्या 74 में ली गयी थी। उपायुक्त जोन ने समिति के सदस्यों को बताया कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु भू.स. 76 व 74 को समान भू-पट्टी ली जानी चाही गई। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भू.स. 74 व 76 को बराबर भू-पट्टी लेकर सड़क की चौड़ाई बढ़ायी जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 19, 3, 02... का कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | तोपखाना देश गृ0नि0स0स0 |
| 2. | योजना का नाम | : | कनिष्क कालोनी |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | के भूखण्ड सं. 10 को फेसिलिटी एरिया में मुक्त |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | रखने की। |

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन से समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया तथा समितिके सदस्यों को बताया कि प्रार्थने वर्ष 1998 का बिजली का बिल, वर्ष 1996 का पानी का बिल, हाउस टैक्स इत्यादि के दस्तावेज प्रस्तुत किए है जिसमें यह जगही होता है कि इस भूखण्ड पर मकान वर्ष 1998 में निर्मित हो चुका था समिति के सदस्यों ने विचार-विमर्श कर भूखण्ड संख्या 10 को फेसिलिटी एरिया से मुक्त करने का निर्णय लिया।




कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...~~२~~... बैठक दिनांक..19.3.02....
का कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | विवेकानंद गृ0नि0स0स0 |
| 2. | योजना का नाम | : | प्रिन्टर्स नगर द्वितीय |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | उ० न० 130, 131, 132, 134, 131/741 व |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | 135 ग्राम खोर का वास |

जोनल लेबल(जोन संख्या...~~३~~...4...) कमेटी की बैठक दिनांक..19.3.02.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित बरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सड़कों को 30-0" चौड़ा किया जावे ।
- 2- योजना में भूखण्ड संख्या 23, 24, 24ए, 45, 28, 29, 30, 38, 39 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।
- 3- योजना में भूखण्ड संख्या 50 से 54 को दक्षिण की ओर सड़क की चौड़ाई सेक्टर प्लान के अनुसार 60-0" चौड़ी की जावे । जिसके कारण सड़क के केन्द्र बिन्दु से 30-0" की दूरी में आने वाली भूमि भूखण्ड संख्या 50 से 54 को ली जावे ।
- 4- नर्सरी ओवार्ड से आवासीय में ~~भू~~ उपयोग परिवर्तन किया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...~~का.द.ब.~~ बैठक दिनांक...1.9.3.02...
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : लक्ष्मी गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : श्याम कॉलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : उ० न० 19 से 23 व 27 से 29 ग्राम
4. सैक्टर नंबर : सूरजपुरा घाटी

जोनल लेबल(जोन संख्या...~~B-4~~...) कमेटी की बैठक दिनांक...1.9.3.02.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित ~~वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- भूखण्ड संख्या 1 से 6 तथा भू.सं. 7 से 11 के मध्य की सड़क मौके पर 19-0" ही उपलब्ध है इस सड़क की चौड़ाई 30-0" की जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 49 से 51 व 55, 55ए, 56 के मध्य की सड़क मौके पर 20-0" उपलब्ध है इस सड़क की चौड़ाई 30-0" की जावे।
- 3- भूखण्ड संख्या 25 से 30 तथा भू.सं. 31 से 36 के मध्य में 20-0" चौड़ी सड़क है इस सड़क की चौड़ाई 30-0" की जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 2 व भू.4 के मध्य में दर्शायी दुकानों को अस्वीकृत करें तथा इन भूखण्डों के मध्य की सड़क की चौड़ाई 40-0" की जावे।
- 5- भू.सं. 1 एवं 1ए के उत्तर में सड़क की चौड़ाई मौके पर 19-0" है इस सड़क की चौड़ाई 30-0" की जावे। (सड़क के केन्द्र बिन्दु से 15-0" की दूरी में आने वाले क्षेत्र को भू.सं. 1 एवं 1ए से लिया जावे)
- 6- योजना में भूखण्ड संख्या 49, 50, 51, 55ए, 55बी को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 19.3.02.....का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : अम्बेश्वर गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : श्री पुरम
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ख०न०308,309,ग्राम देवरी तह०सांगानेर
4. सैक्टर नंबर : की आवासीय योजना

जोनल लेबल(जोन संख्या..13..5....) कमेटी की बैठक दिनांक 19.3.02..में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना क्षेत्र के उत्तर में स्थित सड़क जो श्री पुरम व मोती नगर के मध्य की सड़क मौके पर 27-0" ही उपलब्ध है जबकि सेक्टर प्लान के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 40-0" शेष चौड़ाई की पूर्ति मोती नगर योजना के भूखण्डों के तत्समय की जावेगी जब मोती नगर योजना का तकनीकी अनुमोदन होगा । अर्थात् मध्य रोड़ 40-0" चौड़ाई की रहेगी ।
- 2- भूखण्ड संख्या 130 से 145 कुल 16१, 168 से 171 कुल 4१, मन्दिर क्षेत्र ट्यूबवैल का क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र में दर्शाये ।
- 3- भूखण्ड संख्या 91, 92, 93, 94, 99, 100 कुल 6 भूखण्ड नाला प्रभावित होने के कारण इनको इस्वीकृत किया जावेँ ।
- 4- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सड़को को 30-0" किया जावेँ ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 19.3.02 का कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | महाराजा गोपालपुरा गृ0नि0स0स0 |
| 2. | योजना का नाम | : | प्रेम नगर विस्तार |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | उ० न० 245, 246, ग्राम देवरी तह० सांगानेर की आवासीय योजना |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-5...) कमेटी की बैठक दिनांक 19.3.02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना के भूखण्ड संख्या 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 लो-लाइंग एरिया में होने के कारण अस्वीकृत किया जावे।
- 2- योजना के भूखण्ड संख्या 29 मौके पर सड़के है जो गोविन्द विहार कॅलोनी को मिलाती है इसलिए भूखण्ड संख्या 29 की सड़क में दर्शाया जावे।
- 3- योजना के अन्दर की 30-0" से कम चौड़ी सड़को को 30-0" किया जावे।



विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना कृष्णा विहार श्रीराम की नांगल खसरा नम्बर 221 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 16.3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना में 60:40 के अनुपात में आवासीय एवं सुविधा, सडक हेतु रखते हुए अनुमोदन किया गया।
2. 123 के.वी. हाइटेशन लाईन के दोनो ओर 40 फीट सुरक्षा दूरी से प्रभावित भूखण्ड संख्या 10, 11 एवं 12 का नियमन नहीं किया जावे।
3. योजना के अंदर की सडक को 25 फीट के सीान पर 30 फीट किया जावे एवं टोंक रोड से प्रस्तावित 40 फीट की सडक को Smooth Curve देते हुए वाटिका जाने वाली सडक को 40 फीट किया जावे। भूखण्ड संख्या 38 के सडक से प्रभावित क्षेत्र का नियमन नहीं किया जावे।
4. खण्डेलवाल नगर व कृष्णा विहार के बीच की प्रस्तावित 30 फीट सडक हेतु योजना में से 15 फीट सडक हेतु काटा जावे।
5. प्रस्तावित 40 फीट सडक पर दुकानों का नियमन नहीं किया जावे। इन्हें सुविधा क्षेत्र हेतु रखा जावे।
6. भूखण्ड संख्या 1 व 22 को सुविधा क्षेत्र हेतु दर्शाया जावे एवं योजना के भूखण्ड संख्या 19, 20, 29, 30 में से दो भूखण्डों में इन दोनो को समायोजित किया जावे क्योकि इन भूखण्डधारियों के पास इस योजना में एक से अधिक भूखण्ड है। यह कार्य उपायुक्त जोन अपने स्तर पर करेंगे।
7. योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार - ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावे।

2. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना हनुमन्त विहार वाटिका खसरा नम्बर 5448 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 16.3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 19.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना ध्वज नगर के अनुमोदन के संबंध में।
2. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना गोविन्द विहार के अनुमोदन के संबंध में।
3. हथरोई गृ.नि.स.स. की योजना एकता विहार के अनुमोदन के संबंध में।
4. गुलाबी नगर गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 2, अम्बाबाडी के अनुमोदन के संबंध में।
5. बन्धु गृ.नि.स.स. की योजना दोलत विहार के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना ध्वज नगर के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना के पश्चिम में प्रस्तावित 60 फीट रोड को 80 फीट किया जाना अनुमोदित किया गया।
2. योजना की सभी आंतरिक सडकों की चौड़ाई 30 फीट की गयी।
3. 80 फीट रोड के सामने की दुकानों को अनुमोदित नहीं किया गया।
4. योजना के डूब क्षेत्र में आ रहे भूखण्डों एवं कृषि हो रहे भूखण्डों को छोड़कर भूखण्ड संख्या 1 से 27 को ही अनुमोदित किया गया।
5. मास्टर विकास योजना 2011 में योजना का भू उपयोग औद्योगिक है अतः आवासीय उपयोग में भू उपयोग परिवर्तन किया जावे।

2. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना गोविन्द विहार के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना के पश्चिम में प्रस्तावित वी.के.आई रोड नम्बर 17 को वी.के.आई प्लान के अनुसार 80 फीट किया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रभावित सभी व्यावसायिक भूखण्डों को निरस्त किया गया।
2. योजना की सभी आंतरिक सडकों की चौड़ाई 30 फीट की गयी।

3. हथरोई गृ.नि.स.स. की योजना एकता विहार के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. पूर्ण योजना दो बीघा से अधिक अवाप्तशुदा भूमि पर बसी हुई है अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भेजी जावें।
2. योजना की सभी आंतरिक सडकों की चौड़ाई 30 फीट की गयी।
3. योजना के साईड से गुजर रही रोड को वी.के.आई. प्लान के अनुसार 80 फीट अनुमोदित किया गया। अतः रोड के सामने सभी दुकानों को निरस्त किया गया।

4. गुलाबी नगर गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 2, अम्बाबाडी के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में

शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना के उत्तर पूर्व में 30 फीट व पश्चिम में 40 फीट रखते हुए अनुमोदन किया गया।
 2. योजना के भवन मानदण्ड अम्बाबाडी योजना के अनुसार रखे जावें।
5. बन्धु गृ.नि.स.स. की योजना दौलत विहार के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-


1. योजना वर्तमान में 4996.40 वर्ग गज पर बसी हुई है। जोन की रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण भूमि राजकीय है अतः नियमानुसार नियमन दल ली जानी होगी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 25.2.2002 के क्रम में राज्य सरकार से अनुमोदन अपेक्षित है।
2. योजना के पश्चिम में सीकर रोड है जिससे प्रभावित व्यवसायिक भूखण्डों को अस्वीकृत किया गया।
3. योजना में प्रस्तावित आंतरिक रोड की चौड़ाई 30 फीट की गयी।
4. योजना के बीचों बीच प्रस्तावित उत्तर दक्षिण 30 फीट चौड़ी रोड को योजना के पूर्व में 40 फीट चौड़ी रोड के सामने मिलाने हेतु घुमाव दिया जावें एवं इस घुमाव से प्रभावित भूखण्डों को अस्वीकृत किया गया।
5. 40 फीट चौड़ी रोड के सामने 10 फीट पार्किंग रखते हुए शेष गहराई की दुकानों को अनुमोदित किया गया।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 19.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-1 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना कृष्णा विहार श्रीराम की नांगल खसरा नम्बर 221 के अनुमोदन के संबंध में।
2. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना हनुमन्त विहार, वाटिका खसरा नम्बर 5448 के अनुमोदन के संबंध में।

अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना में 60:40 आवासीय व सुविधा सडक हेतू रखते हुए अनुमोदित किया जावे।
2. योजना में प्रस्तावित दुकानों का नियमन नहीं किया जावे एवं इन्हे सुविधा क्षेत्र हेतू रखा जावे।
3. रिजर्व एरिया को सुविधा हेतू रखा जावे।
4. योजना के अंदर की सडकों को 25' के स्थान पर 30' किया जावे।
5. भखण्ड संख्या 1 से 12 का ही नियमन किया जावे।
6. योजना का नियमानुसार भू उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावे।
7. जविप्रा आदेश क्रमांक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/डी-451 दिनांक 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतू राज्य सरकार को भिजवायी जावे।


वरिष्ठ नगर नियोजक
मास्टर प्लान, जविप्रा।